271

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक III/शहडोल/निग0/भू0रा0/2017/3269

मुकेश गौतम पिता नर्बदा प्रसाद गौतम
निवासी ग्राम– मोहनी, तहसील–जयसिंहनगर
जिला– शहडोल ––– आवेदक

विरूद्ध

1. रामलखन पिता रामसजीवन
2. राममनोहर पुत्र नर्बदा प्रसाद
3. मुन्नीबाई पत्नी तेजप्रताप उर्फ राजकरण
4. रामनरायण पिता तेजप्रताप उर्फ राजकरण
5. जगतप्रताप पिता तेजप्रताप उर्फ राजकरण
6. उमा भारती पिता तेजप्रताप उर्फ राजकरण
7. कुंजबाई पिता राममनोंहर पति रामसरोज चतुर्वेदी

निवासी ग्राम– मोहनी,तहसील– जयसिंहनगर
जिला– शहडोल मध्यप्रदेश,

M.S. Belapurkar 12/09/2017

12.9.17

CE 22.09.17

Belapurkar 12/9/2017

अपर कलेक्टर जिला– शहडोल द्वारा प्रकरण क्रमांक 87/2011–12 निगरानी एवं 88/2011–12 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–08–2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदक निम्नलिखित आधारो पर यह पुनरीक्षण आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हैः–

1. यह कि, अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, इस प्रकरण में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक–400/2 का व्यवस्थापन राम मनोहर तनय नर्मदा प्रसाद के हित में आदेश दिनांक 15/02/1974 द्वारा नियमानुसार कार्यवाहीं के पश्चात तहसीलदार तहसील–ब्यौहारी ने किया गया था जिसका प्रकरण क्रमांक–67/अ–19/1973–74

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/शहडोल/भू.रा./2017/3269 मुकेश विरूद्ध रामलखन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.के. बाजपेयी एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर शहडोल के प्रकरण क्रमांक 87/निगरानी/2011-12 व 88/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21-08-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 12-09-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण	

याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

16.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य